

केंद्रीय सूचना आयोग
२, तल, अगस्त क्रांति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- ११००६६

No. 14/1/2017-CIC (RTI)

Dated: 6.06.2017

श्री संजय कुमार शुक्ला,
प्रबंध संपादक,
खबरपालिका, १८०, ए. बी., पाटलिपुत्र कॉलोनी,
पटना-१३

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन.

महोदय,

उपरोक्त विषयक का आवेदन इस अनुभाग में १३.६.२०१७ और २९.६.२०१७ को आर टी आई अनुभाग से प्राप्त हुआ के माध्यम से वांछित सूचना बिन्दुवार आग्रंकित हैं:-

१	केंद्रीय सूचना आयोग में अंकेक्षण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा किया जाता है।
३-५-६	आर्थिक दंड की राशि, अन्य प्राप्ति खाते में जमा की जाती हैं।
४.	उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दंड राशि से रुपया 1,58,03680 /- प्राप्त हुये।

उपरोक्त जवाब के विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील हैं, इसके प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ऊपर उल्लिखित पते पर की जा सकती हैं।

(Signature)

एस के रब्बानी

उप सचिव (सामान्य प्रशासन)

प्रति: ,केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, RTI-CELL (with ref. to your letter No. CICOM/R/2017/00720 DATED 13.6.2017 & CICOM/R/2017/00785 DATED 29.6.2017)

